विद्युत लोकपाल
मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग
पंचम तल, ''मेट्रो प्लाज़ा'', बिट्टन मार्केट, अरेरा कालोनी, भोपाल

प्रकरण क्रमांक L00-34/17

मेसर्स बी.एस. कॉटन प्रा.लि. — आवेदक
वरला रोड,
जिला—बड़वानी म.प्र.

विरूद्ध

कार्यपालक निदेशक (इ.क्षे.) — अनावेदक
म.प्र. पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लि.,
इंदौर (म.प्र.)

अधीक्षण यंत्री (संचा./संधा.) वृत्त,
म.प्र. पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लि.,
बड़वानी (म.प्र.)

आदेश

(दिनांक 24.01.2018 को पारित)

01 मेसर्स बी.एस. कॉटन प्रा.लि., बड़वानी द्वारा विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, इंदौर के प्रकरण क्रमांक W0384217 में पारित आदेश दिनांक 06.11.2017 से असंतुष्ट होकर अपील अभ्यावेदन दिनांक 05.12.2017 प्रस्तुत किया गया है।

02 विद्युत लोकपाल कार्यालय में उक्त अपील अभ्यावेदन को प्रकरण क्रमांक एल00—34/17 में दर्ज कर तर्क हेतु उभय पक्षों को सुनवाई के लिए बुलाया गया ।

03 प्रकरण में दिनांक 08.01.2017 को सुनवाई प्रारंभ की गई जिसमें आवेदक के सलाहकार श्री आर.एस. गोयल एवं श्री आर.सी. सोमानी उपस्थित हुए तथा अनावेदक की ओर से श्री के.एस. मालवीय, कार्यपालन यंत्री, बड़वानी उपस्थित हुए।

04 बहस के दौरान आवेदक द्वारा बताया गया कि उनका एक उच्चदाब विद्युत कनेक्शन ग्राम—सेंधवा में स्थापित है जिसका अनुबंध सीजनल उपभोक्ता वर्ग में संपादित किया गया था। परन्तु वर्ष 2016—17 में उन्हें सीजनल उपभोक्ता के लिए प्रभावशाली टैरिफ से बिलिंग नहीं करते हुए गैर सीजनल उपभोक्ता वर्ग के लिए लागू उच्चदाब टैरिफ क्रमांक 3.1 के अनुसार बिलिंग की गई।

05 आवेदक द्वारा बताया गया कि उनके कनेक्शन को सीजनल उपभोक्ता की श्रेणी में मानते हुए मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (प्रतिभूति निक्षेप) (पुनरीक्षण प्रथम) विनियम, 2009 की कंडिका 1.13 के अनुसार वार्षिक खपत के 25 प्रतिशत खपत के बराबर अनुज्ञप्तिधारी द्वारा सुरक्षा निधि की गणना की गई। जबकि वर्ष 2016–17 में आवेदक के विरूद्ध एचवी टैरिफ 3.1 के हिसाब से बिलिंग की जा रही है। टैरिफ आदेश में दी गई विशेष सामान्य निबंधन एवं शर्तें के अनुसार टैरिफ जारी होने के 60 दिन के अंदर सीजनल उपभोक्ता को अपना सीजनल एवं गैर सीजनल की घोषणा करना अनिवार्य है। उपभोक्ता को उसकी मासिक मौसम–बाह्य खपत को पिछले तीन मौसमों के अंतर्गत उच्चतम औसत मासिक खपत के 15 प्रतिशत तक सीमित करना होगा। उपभोक्ता को मौसम–बाह्य के दौरान उसकी अधिकतम मांग को संविदा मांग के 30 प्रतिशत तक सीमित करना होगा।

06 आवेदक द्वारा यह भी बताया गया कि मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (प्रतिभूति निक्षेप) (पुनरीक्षण प्रथम) विनियम, 2009 की कंडिका 1.13 प्रारंभ सुरक्षा निधि से संबंधित है जो कि नये विद्युत कनेक्शन देते समय आवेदक से ली जानी है।

07 आवेदक द्वारा यह भी बताया गया कि उपरोक्त विनियम की कंडिका 1.17 के अनुसार विद्यमान विद्युत उपभोक्ताओं से अतिरिक्त सुरक्षा निधि लिये जाने की विधि एवं अवधि दर्शायी गई है। तदनुसार इसमें किसी भी वर्ग के उपभोक्ताओं का वर्णन नहीं करते हुए सभी उपभोक्ताओं से अतिरिक्त सुरक्षा निधि वार्षिक खपत के औसत के 45 दिन के समतुल्य अतिरिक्त सुरक्षा निधि ली जानी है। अनावेदक द्वारा उनसे कंडिका 1.13 जो कि नये विद्युत कनेक्शन को देते समय सुरक्षा निधि लिये जाने के संबंध में है, के अनुसार सीजनल उपभोक्ता मानते हुए 25 प्रतिशत वार्षिक खपत के समतुल्य सुरक्षा निधि की मांग करते हुए रूपये 2,84,029/– की राशि अतिरिक्त सुरक्षा निधि के रूप में वसूल की गई जो कि अवैधानिक है। अतः इसको उनके अगले बिलों में समायोजित करवाने हेतु उचित निर्देश देने का अनुरोध है।

08 अनावेदक द्वारा बहस के दौरान अवगत कराया गया कि चूंकि आवेदक एवं अनावेदक के बीच में सीजनल उपभोक्ता के तहत अनुबंध संपादित किया गया है तथा मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (प्रतिभूति निक्षेप) (पुनरीक्षण प्रथम) विनियम, 2009 के अनुसार आवेदक से वार्षिक खपत के 25 प्रतिशत के समतुल्य सुरक्षा निधि ली जानी है। तदानुसार आवेदक से रूपये 2,84,029/– अतिरिक्त सुरक्षा निधि ली गई है।

09 उभय पक्षो की वहस एवं दस्तावेजों को देखने के बाद यह स्पष्ट है कि मुख्यतः विवाद सुरक्षा निधि की गणना का है। आवेदक द्वारा मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (प्रतिभूति निक्षेप) (पुनरीक्षण प्रथम) विनियम, 2009 की कंडिका 1.17 जिसमें कि अतिरिक्त सुरक्षा निधि लेने की विधि एवं अवधि दर्शायी गई है, के अनुसार सुरक्षा निधि की गणना की जाना है तथा अनावेदक के कथनानुसार सीजनल वर्ग के उपभोक्ता होने के कारण मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (प्रतिभूति निक्षेप) (पुनरीक्षण प्रथम) विनियम, 2009 की कंडिका 1.13 के प्रावधान के अनुसार सुरक्षा निधि की गणना की जाना है।

10 उपरोक्त विवाद का निराकरण करने से पूर्व मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा जारी किये गये वर्ष 2016–17 का टैरिफ आदेशएवं मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (प्रतिभूति निक्षेप) (पुनरीक्षण प्रथम) विनियम, 2009 की कंडिकाओं का अवलोकन किया गया जिसके प्रावधान निम्नानुसार है –

उच्चदाब टैरिफ के विशिष्ट निबंधन तथा शर्तों के अनुसार –

(डी) उपभोक्ता को वित्तीय वर्ष 2016–17 हेतु मौसम के तथा मौसम–बाह्य (ऑफ सीजन) के महीने, टैरिफ आदेश के 60 दिवस के भीतर घोषित करने होंगे तथा इन्हें अनुज्ञप्तिधारी को सूचित करना होगा।यदि इस आदेश के जारी होने से पूर्व उपभोक्ता द्वारा अनुज्ञप्तिधारी को वित्तीय वर्ष के दौरान उसके मौसमी/मौसम–बाह्य महीनों की घोषणा कर दी गई हो तो इसे इस टैरिफ आदेश के संबंध में स्वीकार कर लिया जाएगा तथा इस हेतु वैध माना जाएगा।

(ई) उपभोक्ता द्वारा एक बार घोषित की गई मौसमी अवधि को वित्तीय वर्ष के दौरान परिवर्तित नहीं किया जा सकेगा।

(एफ) यह विद्युत–दर उन सम्मिश्रित इकाईयों (composite units) को प्रयोज्य न होगी जिनके पास मौसमी तथा अन्य श्रेणी भार विद्यमान हैं।

(जी) उपभोक्ता को उसकी मासिक मौसम–बाह्य खपत को पिछले तीन मौसमों के अंतर्गत उच्चतम औसत मासिक खपत के 15 प्रतिशत तक सीमित करना होगा। यदि किसी प्रकरण में ऐसे किसी मौसम बाह्य माह में कोई खपत इस सीमा से अधिक पाई जाए तो ऐसी दशा में उपभोक्ता की बिलिंग सम्पूर्ण वर्ष हेतु, एचवी–3.1 औद्योगिक टैरिफ अनुसूची दर के अनुसार की जाएगी।

(एच) उपभोक्ता को मौसम–बाह्य के दौरान उसकी अधिकतम मांग को संविदा मांग के 30 प्रतिशत तक सीमित करना होगा। यदि उसके द्वारा घोषित मौसम–बाह्य के अंतर्गत किसी माह में अधिकतम मांग इस सीमा से अधिक पाई जाती है तो ऐसी दशा में उपभोक्ता की बिलिंग सम्पूर्ण वर्ष हेतु, एचवी–3.1 औद्योगिक टैरिफ अनुसूची के अनुसार की जाएगी।

मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (प्रतिभूति निक्षेप) (पुनरीक्षण प्रथम) विनियम, 2009 की कंडिकायें–

1.7 (क) निम्नदाब उपभोक्ता से प्रतिभूति निक्षेप, अतिरिक्त प्रतिभूति निक्षेप राशि का सम्मिलित करते हुए, को नगद अथवा धनादेश (चेक) द्वारा (इसकी वसूली के अध्यधीन) अथवा डिमांड ड्राफ्ट अथवा भुगतान आदेश (पे–आर्डर) अथवा बैंकर धनादेश (बैंकर्स चेक) के रूप में स्वीकार किया जाएगा ।

(ख) अति उच्च दाब/उच्च दाब उपभोक्ता से प्रतिभूति निक्षेप, अतिरिक्त प्रतिभूति निक्षेप को सम्मिलित करते हुए, को निम्न विकल्पों में से किसी एक के द्वारा स्वीकार किया जाएगा :

(1) 45 दिवस की खपत के बराबर प्रतिभूति निक्षेप का भुगतान नगद अथवा धनादेश द्वारा (इसकी वसूली के अध्यधीन) अथवा डिमाण्ड ड्राफ्ट अथवा भुगतान आदेश (पे आर्डर) अथवा बैंकर धनादेश (बैंकर्स चैक) के रूप में भुगतान किया जाएगा ।

1.13 अनुज्ञप्तिधारी नवीन सेवा संयोजन हेतु उपभोक्ता से विनिर्दिष्ट दिवस संख्या के लिए प्राक्कलित खपत के समान खपत हेतु निम्न तालिका के अनुसार प्रतिभूति राशि स्वीकार कर सकेगा।

क्र.	उपभोक्ता का प्रकार	दिवस संख्या
1	कृषि (1) स्थायी (2) अस्थायी	 90 अस्थाई संयोजन की पूर्ण अवधि हेतु, न्यूनतम 60 दिवस की अवधि के अध्यधीन, यदि संयोजन माह जुलाई से फरवरी के मध्य उपयोग किया जाना हो तथा न्यूनतम 30 दिवस की अवधि के अध्यधीन, यदि संयोजन माह मार्च से जून के मध्य, थ्रेशिंग कार्य हेतु उपयोग किया जाना हो। उपभोक्ता, तथापि, संयोजन का उपयोग यहां दर्शायी गई अवधि से कम दिवसों हेतु प्रतिभूति निक्षेप की वसूली बाबत्, प्रतिभूति निक्षेप की राशि पूर्ण अवधि हेतु जमा किये जाने के अध्यधीन कर सकेगा। प्रतिभूति निक्षेप की अधिक राशि संयोजन अवधि के पूर्ण होने तथा संयोजन के विच्छेद उपरांत वापसी योग्य होगी।
2	मौसमी (सीजनल)	वार्षिक खपत का 25 प्रतिशत
3	स्टोनक्रशर, हॉट–मिक्स संयंत्र	90
4	विधिक आधिपत्य का प्रमाण प्रस्तुत न कर सकने वाले उपभोक्ता	90
5	अन्य उपभोक्ता	45

1.17 अनुज्ञाप्तिधारी द्वारा उपभोक्ताओं से प्राप्त ऊर्जा प्रतिभूति निक्षेप (ईएसडी) की वार्षिक समीक्षा पिछले 12 माह की खपत के आधार पर प्रतिवर्ष माह अप्रैल में की जाएगी । अनुज्ञप्तिधारी उक्त समीक्षा के आधार पर उपभोक्ता से अतिरिक्त प्रतिभूति निक्षेप की वसूली हेतु, तीन समान किस्तों में देय, मांग में वृद्धि कर सकेगा, यदि प्रचलित विद्युत दरों (टैरिफ) आदि के आधार पर चाही गई प्रतिभूति निक्षेप की राशि अनुज्ञप्तिधारी द्वारा धारित प्रतिभूति निधि की राशि से 100/– रूपये या इससे अधिक हो । इसी प्रकार, जमा की गई प्रतिभूति निक्षेप राशि आवश्यक राशि से अधिक पाये जाने की दशा में, वांछित राशि का आकलन (क्रेडिट) अनुवर्ती विद्युत देयकों में तीन समान किस्तों में किया जा सकेगा । तथापि, वांछित राशि का आकलन (क्रेडिट) निर्धारित समय में न किये जाने पर, अनुज्ञप्तिधारी उपभोक्ताओं को 1 प्रतिशत प्रतिमाह की दर से साधारण ब्याज का भुगतान करेगा ।

1.18 अनुज्ञप्तिधारी, उपभोक्ता को अतिरिक्त प्रतिभूति निक्षेप की राशि जमा करने हेतु कम से कम एक माह की सूचना (नोटिस) देगा। यदि उपभोक्ता सूचना के अनुसार ऐसी अतिरिक्त प्रतिभूति निक्षेप राशि को जमा करने में चूक करता है तो अनुज्ञप्तिधारी ऐसी चूक की निरंतरता की अवधि हेतु विद्युत प्रवाह को इनकार करने या रोकने के लिए प्राधिकृत होगा। यदि उपभोक्ता प्रतिभूति निक्षेप के भुगतान में विलम्ब करता है तो अनुज्ञप्तिधारी उसके विद्युत

प्रवाह को रोके जाने के अधिकार के अन्तर्गत बिना किसी पक्षपात के इन विनियमों के अन्तर्गत उपभोक्ता ऐसा अधिभार देने के लिए उत्तरदायी होगा जो ऊर्जा/मांग प्रभारों (टैरिफ आदेश में यथा वर्णित) के भुगतान में विलम्ब के कारण देय अधिभार के समान हो।

1.19 किसी वित्तीय वर्ष में, मासिक देयकों के भुगतान में दो से अधिक बार चूक किये जाने की दशा में, ऐसे उपभोक्ता हेतु जिनका प्रतिभूति निक्षेप उनकी 45 दिवस की खपत के बराबर संधारित किया जाता है, अनुज्ञप्तिधारी ऐसे उपभोक्ताओं का प्रतिभूति निक्षेप 45 दिवस के खपत स्तर से इसे 60 दिवस के खपत स्तर तक बढ़ाये जाने हेतु प्राधिकृत होगा । उपभोक्ता द्वारा विवादित/सतर्कता देयकों का भुगतान नहीं किये जाने को चूक नहीं माना जाएगा जबकि उपभोक्ता द्वारा समुचित प्राधिकारी को ऐसे देयक का पुनरीक्षण किये जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया हो तथा उपभोक्ता देयकों का भुगतान विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 56(1) के उपबंधों के अनुसार कर रहा हो जब तक कि समुचित अधिकारी द्वारा प्रकरण का अन्तिम रूप से निपटान न कर दिया जाए । जहां उपभोक्ता वित्तीय वर्ष के दौरान ऊर्जा देयकों का भुगतान समस्त माह की निर्धारित तिथियों के अन्तर्गत अथवा न्यूनतम आगामी 6 माह हेतु निरन्तर (इनमें से जो भी अवधि अधिक हो) करता हो, ऐसे प्रकरण में उपभोक्ता को 45 दिवस के बराबर की राशि नगद में प्रतिभूति निक्षेप का भुगतान किये जाने हेतु अनुज्ञेय किया जा सकेगा ।

उपरोक्त प्रावधानों का अवलोकन से यह स्पष्ट हो जाता है कि

11 टैरिफ आदेश जारी होने के 60 दिन के अंदर उपभोक्ता को अपने विद्युत कनेक्शन के संबंध में सीजनल एवं गैर सीजनल की घोषणा की जानी है तथा एकबार उनके द्वारा सीजनल की घोषणा करने के पश्चात वे उसे परिवर्तित नहीं कर सकते।

12 उपभोक्ता को उसकी मासिक मौसम–बाह्य खपत को पिछले तीन मौसमों के अंतर्गत उच्चतम औसत मासिक खपत के 15 प्रतिशत तक सीमित करना होगा। उपभोक्ता को मौसम–बाह्य के दौरान उसकी अधिकतम मांग को संविदा मांग के 30 प्रतिशत तक सीमित करना होगा।

13 उपरोक्त शर्तों को ना मानने पर सीजनल उपभोक्ता को स्वतः उच्चदाब टैरिफ श्रेणी 3.1 से बिलिंग किये जाने का अधिकार अनुज्ञप्तिधारी को दिया गया है तथा इसमें कहीं भी पुनः अनुबंध करने का कोई प्रावधान नहीं है।

14 इस प्रकरण में अनुज्ञप्तिधारी द्वारा आवेदक द्वारा सीजनल एवं गैर सीजनल की घोषणा नहीं देने के संबंध में अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उच्चदाब टैरिफ श्रेणी क्रमांक 3.1 के अनुसार बिलिंग की गई है।

15 मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (प्रतिभूति निक्षेप) (पुनरीक्षण प्रथम) विनियम, 2009 के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि कंडिका 1.13 में वर्णित सुरक्षा निधि लिये जाने की अवधि केवल नये विद्युत कनेक्शन देने के संबंध में है जबकि आवेदक का कनेक्शन विगत वर्षों से विद्यमान है। मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (प्रतिभूति निक्षेप) (पुनरीक्षण प्रथम) विनियम, 2009 की कंडिका 1.17 में विद्यमान सभी वर्गों के उपभोक्ताओं से अतिरिक्त सुरक्षा निधि लिये जाने की विधि एवं अवधि का उल्लेख किया गया है। इस प्रकरण में चूंकि आवेदक का पुराना

कनेक्शन है अतः उन पर मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (प्रतिभूति निक्षेप) (पुनरीक्षण प्रथम) विनियम, 2009 की कंडिका 1.17 लागू होगी जिसमें कि इस बात का उल्लेख किया गया है कि अतिरिक्त सुरक्षा निधि की गणना उस वर्ष लागू टैरिफ के आधार पर की जाएगी तथा अतिरिक्त सुरक्षा निधि की वसूली उनसे 3 मासिक किश्तों में की जाएगी। यदि आवेदक की सुरक्षा निधि की गणना के पश्चात पाया जाता है कि अनुज्ञप्तिधारी के पास अधिक सुरक्षा निधि जमा है तो उसका समायोजन 3 मासिक किश्तों में किया जाएगा। समायोजन समय पर नहीं देने पर अनुज्ञप्तिधारी एक प्रतिशत का साधारण ब्याज उसके बिलों में समायोजित करेगा।

16 मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (प्रतिभूति निक्षेप) (पुनरीक्षण प्रथम) विनियम, 2009 की कंडिका 1.7 ख(1) एवं 1.19 में यह स्पष्ट लिखा है कि अनुज्ञप्तिधारी द्वारा वार्षिक औसत खपत के 45 दिन की खपत के अनुरूप सुरक्षा निधि उपभोक्ता/आवेदक से ले सकेगा। यह कि आवेदक विद्युत देयकों का भुगतान वर्ष में दो बार की समयावधि में नहीं करने पर अनुज्ञप्तिधारी 60 दिनों के समतुल्य सुरक्षा निधि ले सकता है।

17 इस प्रकरण में अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उपरोक्त प्रावधानों का अनुसरण नहीं कर मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (प्रतिभूति निक्षेप) (पुनरीक्षण प्रथम) विनियम, 2009 की कंडिका 1.13 जो कि नये विद्युत कनेक्शन देते समय सुरक्षा निधि लिये जाने का है, के अनुरूप कर आवेदक से रूपये 2,84,029/– अतिरिक्त सुरक्षा निधि तीन मासिक किश्तों में जमा करा ली गई जो कि उपरोक्त विनियम के विपरीत एवं न्यायोचित नहीं है।

अतः आदेशित किया जाता है कि –

अ अनुज्ञप्तिधारी द्वारा मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (प्रतिभूति निक्षेप) (पुनरीक्षण प्रथम) विनियम, 2009 की कंडिका 1.17, 1.19 में दिये गये प्रावधानों के अनुसार पुनः सुरक्षा निधि की गणना कर आवेदक से ली गई सुरक्षा निधि की अतिरिक्त राशि का समायोजन आवेदक के आगामी तीन विद्युत देयकों में करें। ऐसा नहीं करने पर विनियम की कंडिका 1.17 के प्रावधान के अनुसार 1 प्रतिशत साधारण ब्याज की दर से राशि का समायोजन अनुज्ञप्तिधारी द्वारा आवेदक के मासिक बिलों में किया जावे।

ब फोरम का आदेश अपास्त किया जाता है।

स उभय पक्ष प्रकरण में हुए व्यय को अपना–अपना वहन करेंगे।

18 आदेश की प्रति के साथ फोरम का अभिलेख वापस हो । आदेश की निःशुल्क प्रति पक्षकारों को दी जाए ।

विद्युत लोकपाल

प्रतिलिपि :

1. आवेदक की ओर प्रेषित ।
2. अनावेदक की ओर प्रेषित ।
3. फोरम की ओर प्रेषित ।

विद्युत लोकपाल